आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर **श्रीमती अंजलि कपिल, मनोवैज्ञानिक, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, खटीमा, उधमसिहनगर सम्बद्ध–रा.आ.प.वि.,लालढांग, हरिद्वार को समान पद एवं वेतनमान में जनहित में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, जोशीमठ, चमोली** में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या ८-1433/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य/अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जोशीमठ, चमोली/खटीमा, उधमसिहनगर/लालढांग, हरिद्वार।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली/उधमसिहनगर/हरिद्वार।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/उपकोषाधिकारी, खटीमा, उधमसिहनगर। ।
5– जिला अधिकारी, चमोली/उधमसिहनगर।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर **कुमारी गरिमा मिश्रा, सहायक अध्यापक (एल0टी0) सामाजिक विषय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, लालढांग, हरिद्वार को समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, लागापोखरी, देहराहदून** में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तरराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या C-1432/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य/अधीक्षक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, लागापोखरी,देहरादून/लालढांग,हरिद्वार।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार/उपकोषाधिकारी, चकराता, देहरादून।
5– जिला अधिकारी, हरिद्वार/देहरादून।।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर **श्रीमती मीना भारती, सहायक अध्यापिका (एल0टी0) सिलाई, राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, खटीमा, उधमसिहनगर को समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, त्यूणी, देहरादून** में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तरराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या C-1431/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 25 जून, 2019

1– सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य/अधीक्षक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, त्यूणी,देहरादून/खटीमा, उधमसिहनगर।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून/उधमसिहनगर।
4– उपकोषाधिकारी, सितारगंज,उधमसिहनगर/त्यूणी, देहरादून।
5– जिला अधिकारी, देहरादून/उधमसिहनगर।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर **श्री अमरजीत सिह, कनिष्ठ सहायक, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ को समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, खटीमा, उधमसिहनगर** में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या C-1430/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य/अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, मुनस्यारी,पिथौरागढ़/खटीमा, उधमसिहनगर।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिहनगर।
4– उपकोषाधिकारी, मुनस्यारी, पिथौरागढ़/खटीमा, उधमसिहनगर।
5– जिला अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिहनगर।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर निम्न लिखित सहायक अध्यापक (एच0टी0सी0) को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख संस्था में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

क्रं0	कार्मिक का नाम	संस्था जिसमें कार्यरत है।	संस्था जिसमें स्थानान्तरित किया गया।	अभ्युक्ति
1.	श्रीमती मंजू आर्या	रा.आ.प.वि. खटीमा, उधमसिहनगर।	रा.आ.प.वि. लागापोखरी, देहरादून।	जनहित में।
2.	श्रीमती अनीता देवी	रा.आ.प.वि. गोरी (बलुवा) पिथौरागढ़।	रा.आ.प.वि. खटीमा, उधमसिहनगर।	स्वयं के अनुरोध पर।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या C-1429/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, खटीमा, उधमसिहनगर/लागापोखरी, देहरादून / बलुवाकोट, पिथौरागढ़।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून/उधमसिहनगर/पिथौरागढ़।
4– उपकोषाधिकारी, खटीमा, उधमसिहनगर/चकराता, देहरादून/धारचूला, पिथौरागढ़।
5– जिला अधिकारी, देहरादून/उधमसिहनगर/पिथौरगढ़।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर निम्न लिखित सहायक वरिष्ठ सहायक को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख संस्था में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

क्रं0	कार्मिक का नाम	संस्था जिसमें कार्यरत है।	संस्था जिसमें स्थानान्तरित किया गया।	अभ्युक्ति
1.	श्रीमती संगीता शर्मा	रा.औ.प्र.संस्थान, गुलरभोज,उधमसिहनगर।	रा.आ.प.वि. मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	जनहित में।
2.	श्री नारायण सिह	रा.आ.प.वि. बिडौरा, उधमसिहनगर।	रा.औ.प्र.संस्थान, गुलरभोज,उधमसिहनगर।	विकलांगता के कारण स्वयं के अनुरोध पर।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या C-1428/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित कार्मिक द्वारा संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, बिडौरा, उधमसिहनगर/ मुनस्यारी, पिथौरागढ़/ कार्यशाला अधीक्षक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,गुलरभोज, उधमसिहनगर।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिहनगर/पिथौरागढ़।
4– उपकोषाधिकारी, सितागंज/गदरपुर, उधमसिहनगर/मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
5– जिला अधिकारी, उधमसिहनगर/पिथौरगढ़।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर **श्री हेमन्त भण्डारी, मनोवैज्ञानिक, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, जोशीमठ, चमोली को समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, खटीमा, उधमसिहनगर** में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या C-1427/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित कार्मिक संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, जोशीमठ, चमोली/खटीमा, उधमसिहनगर।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, चमोली/उधमसिहनगर।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली/उपकोषाधिकारी, खटीमा, उधमसिहनगर। ।
5– जिला अधिकारी, चमोली/उधमसिहनगर।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर **श्रीमती गंगोत्री चन्द, सहायक अध्यापक (एल0टी0) गृह विज्ञान, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, गोठी, हाल–बलुवाकोट, पिथौरागढ़ को समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय, गुलरभोज, उधमसिहनगर** में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या C-1426/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित अध्यापिका द्वारा संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, गोठी, हाल–बलुवाकोट, पिथौरागढ़/गुलरभोज, उधमसिहनगर।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिहनगर।
4– उपकोषाधिकारी, धारचूला, पिथौरागढ़/गदरपुर, उधमसिहनगर। ।
5– जिला अधिकारी, पिथौरागढ़/उधमसिहनगर।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर **श्री दत्तात्रेय मिश्रा, सहायक अध्यापक (एल0टी0) विज्ञान, राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, लाखामण्डल, देहरादून को समान पद एवं वेतनमान में राजकीय आश्रम पद्धति उ0मा0 विद्यालय, बिडौरा, उधमसिहनगर** में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तरराखण्ड, देहरादून।
पत्र संख्या C-1425/ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित अध्यापक द्वारा संस्थाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, लाखामण्डल, देहरादून/बिडौरा, उधमसिहनगर।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून/उधमसिहनगर।
4– उपकोषाधिकारी, चकराता, देहरादून/सितागंज, उधमसिहनगर।
5– जिला अधिकारी, देहरादून/उधमसिहनगर।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) की धारा 16 (1) के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुति के आधार पर निम्न लिखित प्रधानाचार्य को समान पद एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख संस्था में एतद्द्वारा स्थानान्तरित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining time) का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र यात्रा अवधि (Joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

क्रं0	कार्मिक का नाम	संस्था जिसमें कार्यरत है।	संस्था जिसमें स्थानान्तरित किया गया।	अभ्युक्ति
1.	श्री जमुना प्रसाद	रा.आ.प.वि. गुलरभोज, उधमसिहनगर।	रा.आ.प.वि. मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	सम्बद्धीकरण से तैनाती। जनहित में।
2.	श्री जगदीश राम टम्टा	रा.आ.प.वि. मुनस्यारी, पिथौरागढ़।	रा.आ.प.वि. बलुवाकोट, पिथौरागढ़।	जनहित में।

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रूकवाने सम्बन्धी प्रत्यावेदन अग्रसारित न किये जाए, यदि कोई कार्मिक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा अथवा कार्यभार ग्रहण नहीं करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय पर अवमुक्त न करना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(सुरेश चन्द्र जोशी)
निदेशक।

निदेशालय जनजाति कल्याण, उत्तरराखण्ड, देहरादून।

पत्र संख्या- 1424 /ज.जा.क./सा.स्था./2019–20 दिनांक 24 जून, 2019

1– सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष।
2– प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, गुलरभोज, उधमसिहनगर/मुनस्यारी, पिथौरागढ़।
3– जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिहनगर/पिथौरागढ़।
4– उपकोषाधिकारी, गदरपुर, उधमसिहनगर/ मुनस्यारी/धारचूला, पिथौरागढ़।
5– जिला अधिकारी, उधमसिहनगर/पिथौरागढ़।
6– व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

निदेशक।